न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 03/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रवि कुमार व्यास पुत्र श्री रामदेव व्यास विक्रेता
   मैसर्सः— बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 27 करणी नगर, आगरा रोड, दौसा।
2. श्रीमति सुमन शर्मा प्रोपराईटर,
   मैसर्स बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 27 करणी नगर, आगरा रोड, दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 10.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12.09.2019 को दोपहर पूर्व 11:30 बजे मैसर्सः— बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 27 करणी नगर, आगरा रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रवि कुमार व्यास पुत्र श्री रामदेव व्यास उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में तीन कार्टून में 405 ग्राम पैकिंग में पैक सोयाबीन तेल(सात्विकी आलोक) (3 कार्टून X 30 बोतल X 405 ग्राम) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल पैक बोतल X 405 ग्राम वजन की नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 172 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक सोयाबीन तेल(सात्विकी आलोक) की बोतलो पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2246 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.09.2019 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.09.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.09.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल(सात्विकी आलोक) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./588/एक्ट/2019/601 दिनांक 27.09.2019 के अनुसार मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./588/एक्ट/2019/601 दिनांक 27.09.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) के लेबल पर **Nine Months From Packing** छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) के लेबल पर **BEST BEFORE NINE MONTHS FROM PACKAGING** लिखा हुआ होना चाहिए था। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) का जो नमूना लिया गया था उसमें कम्पनी द्वारा **Nine Months From Packing** बडे अक्षरों के स्थान पर छोटे अक्षरों में लिखा होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। श्रीमान जी उक्त खाद्य पदार्थ हमारे द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। हम फर्म द्वारा पैक माल खरीदते है एवं पैक ही विक्रय किया जाता है। उक्त खाद्य पदार्थ का बिल उपलब्ध नहीं था। उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें जुर्माने से माफ करने का श्रम करे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /588/एक्ट/2019/601 दिनांक 27.09.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 [illegible] मजिस्टेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) का नमूना मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (सात्विकी आलोक) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री रवि कुमार व्यास पुत्र श्री रामदेव व्यास विक्रेता एवं श्रीमति सुमन शर्मा प्रोपराईटर मैसर्स बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 27 करणी नगर, आगरा रोड दौसा पर 10000 (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.02.2021 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/2021/449-452

दिनांक:- 19 .02.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रवि कुमार व्यास पुत्र श्री रामदेव व्यास विक्रेता
   मैसर्सः- बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 7 करणी नगर, आगरा रोड, दौसा।
4. श्रीमति सुमन शर्मा प्रोपराईटर,
   मैसर्स बंशीदास महाराज ट्रेडिंग कम्पनी, 27 करणी नगर, आगरा रोड, दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official